सामाजिक न्याय

अध्याय - 05

सामाजिक न्याय (Social justice) की अवधारणा ऐसे विचार पर टिकी है जिसके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, किसी के साथ सामाजिक या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

चलंत मतदान केंद्र में मतदान कराते कर्मी

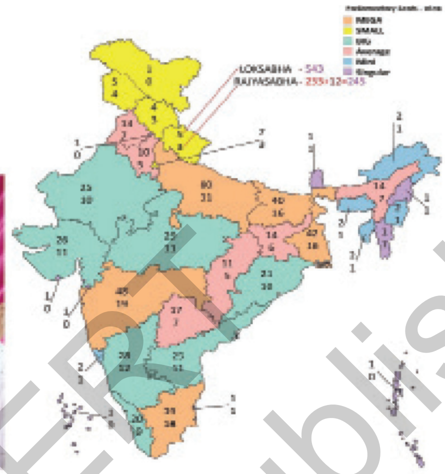

विभिन्न राज्यों में संसद सदस्यों की संख्या

स्रोत www.eci.gov.in

भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक न्याय की स्थापना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है।

सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं?

सामाजिक न्याय एक जटिल अवधारणा है। इससे पहले आपको न्याय के बारे में जानना चाहिए।

- रफल के शब्दों में, 'न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है।'

किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव न हो, वही सामाजिक न्याय है।

सामाजिक न्याय शब्द के प्रथम भाग सामाजिक का अर्थ है समाज में रहने वाले सभी लोग और दूसरे भाग न्याय से अभिप्राय है स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की व्यवस्था व वितरण। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है" समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना।"

© JCERT not to be republished

प्राचीन भारत में न्याय को धर्म के साथ जोड़ कर देखा गया है और धर्म की स्थापना राजा का कर्त्तव्य माना गया है। सामाजिक न्याय के अभाव के कारण ही भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण न रह सकी और उसे लम्बे समय तक गुलाम रहना पड़ा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो कि जाति आधारित है, सामाजिक न्याय व समतावादी राज्य की स्थापना में बड़ी रूकावट थी।

भारतीय समाज में सदियों से सामाजिक न्याय का संघर्ष जारी रहा। कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर, महात्मा गांधी जैसे हजारों समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज के भेदभाव व ऊँच–नीच पर आधारित सामाजिक ढाँचे को सुधारने की भरसक चेष्टा की।

हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। कालांतर में धीरे–धीरे प्रदूषित होकर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गयी। जातिव्यवस्था में रुढ़िवादिता आने से असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक ऊँच–नीच की भावना उत्पन्न हुई।

आधुनिक समाज में यह आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिए जाएं? इस सम्बन्ध में कई सिद्धांत पेश किये गए हैं। जैसे– समकक्षों के साथ समानता के बर्ताव का सिद्धांत।

इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्यों में कुछ चारित्रिक समानताएं होती हैं। इसलिए वे सामान अधिकार एवं बर्ताव के अधिकारी हैं। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, और संपत्ति का अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं।

लोगों के साथ जाति, धर्म, नस्ल या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए ही एससी/एसटी एक्ट लागू किया गया है।

संविधान के भाग चार के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में न्याय के इस आदर्श का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक कार्यसाधन रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श को लोककल्याण के आदर्श से भिन्न माना गया है।

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को कई रूपों में स्वीकार किया गया हैं। संविधान के भाग 3 और भाग 4 में सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के विविध उपायों की व्याख्या की गयी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता और अधिनियमों के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रदान की गई है और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव व विभेद निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को

© JCERT not to be republished

अवसर की समानता प्राप्त हैं। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का कानूनी तौर पर अंत कर दिया गया है।

भारत का संविधान

CONSTITUTION OF INDIA

अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव ,तस्करी और बाल श्रम अथवा बेगार पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों से काम कराने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी सामाजिक न्याय के सोपान हैं।

संविधान ने नागरिकों का कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया है। अनुच्छेद 41 व अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्यों को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 43, 44, 45 एवं 47 भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी संविधान निर्माताओं को आशा थी। **संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में अतः स्थापित अनुच्छेद 21 क सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**

इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य कानून द्वारा निर्धारित करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह के सभी बच्चे मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। 21 'क' अनुच्छेद, 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा अधिनियमित हुआ एवं 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।

© JCERT not to be republished

समीक्षा

सामाजिक न्याय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सह्रदयता से वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान हो। वास्तव में तभी भेदभाव से परे सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो सकेगा। सामाजिक ध्रुवीकरण, जातिवाद व वोट बैंक की राजनीति सामाजिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत हैं।

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को केवल आरक्षण देने भर से सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होती हैं। इस वर्ग के मानसिक एवं शैक्षणिक विकास के सतत व सार्थक प्रयास ही उन्हें संकीर्ण सामाजिक क्रियाकलापों से मुक्त रख सकेंगे। अतएव सामाजिक न्याय के लिए वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान व मानसिक विकास आवश्यक है।

समानुपातिक न्याय

कई परिस्थितियों में हर एक के साथ समान बर्ताव न्यायोचित नहीं होता है। जैसे कि एक स्कूल सभी छात्रों को एक ही परीक्षा देने को कहा जाए, चाहे वो जिस भी कक्षा में हों। **इस स्थिति में एक स्कूल के सभी छात्रों को समान बर्ताव के तहत समान परीक्षा देनी होगी, ये तर्क सही नहीं है।** अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समानता के सिद्धांत और समानुपातिक सिद्धांत के बीच सामंजस्य होना चाहिए।

विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल

कुछ खास मामलों में आसमान और विशेष सहायता दी जा सकती है। न्याय के इस तीसरे सिद्धांत को आप दिव्यांगता (विकलांगता) से जोड़ कर देख सकते हैं।

- **संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सन 2009 से इस दिवस को पूरे विश्व में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों द्वारा मनाया जाता है।**
- **कल्याण मंत्रालय का नाम मई, 1998 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में बदल दिया गया था।**

सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है?

सामाजिक न्याय और समानता हमारे संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और सामाजिक न्याय की स्थापना का मतलब है कि सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के कानून की नजर में समान व्यवहार किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति और विभिन्न प्रावधानों के विकास के लिए एक निष्पक्ष वातावरण की स्थापना सुनिश्चित करना चाहिए।

© JCERT not to be republished

सामाजिक न्याय के प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन–सा संवैधानिक प्रावधान सामाजिक न्याय से संबंधित नहीं है?

(क) सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के लिए आरक्षण

(ख) एससी और एसटी के लिए विधानमंडल में आरक्षण

(ग) भारत राज्यों का संघ है

(घ) बाल श्रम पर रोक

उत्तर. (ग) भारत राज्यों का संघ है

प्रश्न 2. सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है?

उत्तर. सामाजिक न्याय (social justice) की अवधारणा ऐसे विचार पर टिकी है जिसके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी के साथ सामाजिक या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 3. सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर. किसी भी सभ्य समाज, राज्य के लिए न्याय बेहद अहम होता है। न्याय, समाज को कई बुराइयों और गैर–सामाजिक तत्वों से दूर रखने के साथ लोगों के नैतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है।

प्रश्न 4. प्राचीन भारत में न्याय की व्याख्या कैसे की गई है?

उत्तर. प्राचीन भारत में न्याय को धर्म के साथ जोड़ कर देखा गया है, और धर्म की स्थापना राजा का कर्तव्य माना गया है।

प्रश्न 5. हर एक के साथ समान बर्ताव कब न्यायोचित नहीं होता ?

उत्तर. सबके साथ समान बर्ताव तब न्यायोचित नहीं होता है, जब सभी व्यक्ति किसी विशेष अवस्था में समान नहीं हों। जैसे अलग अलग कक्षाओं के छात्रों से समानता के नाम पर एक ही परीक्षा नहीं ली जा सकती है।

प्रश्न 6. सामाजिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?

उत्तर. सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी स्तरों, वर्गो के लोगों की उन्नति के समान अवसरों का अधिकार आता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए संघर्ष का अधिकार है। केवल योग्यता ही शिक्षा और जीविका प्राप्ति का मापदंड होना चाहिए। जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को प्राथमिकता देना उचित नही है।

© JCERT not to be republished

प्रश्न 7. मानव अधिकार क्या है?

उत्तर. मानवाधिकारों को सार्वभौमिक **अधिकार** कहा जाता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपना लिंग, जाति, पंथ, धर्म, संस्कृति, सामाजिक/आर्थिक स्थिति या स्थान की परवाह किए बिना हकदार है। ये वो मानदंड हैं जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और कानून द्वारा संरक्षित हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का **अधिकार** है।

मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए है। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग–तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

साभार, स्रोत– इंटरनेट

भारत में मानव अधिकार और उनकी प्रासंगिकता

किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। संविधान में बनाये गए अधिकारों से बढ़कर महत्व मानवाधिकारों का माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि ये ऐसे अधिकार हैं जो सीधे प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे जीने का अधिकार केवल कानून सम्मत अधिकार नहीं है बल्कि इसे प्रकृति से प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार, आदि नागरिक और राजनैतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं।

© JCERT not to be republished

भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को लागू हुआ।

- 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

आर्थिक समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को उसकी पारिवारिक या **आर्थिक** स्थिति चाहे जो हो उसे अपने धंधा और पेशा चुनने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि देश के हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार हो सके।

प्रश्न 1. समानता के तीन आयाम कौन कौन से हैं?

उत्तर.
- राजनीतिक समानता
- सामाजिक समानता
- आर्थिक समानता

प्रश्न 2. नागरिक समानता का अर्थ क्या है?

उत्तर. नागरिक समानता से तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वह नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसे धार्मिक, भाषण, प्रेस, आदि की स्वतंत्रता।

प्रश्न 3. राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है?

उत्तर. राजनीतिक समानता का अभिप्राय है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिाकार प्राप्त हों । जैसे मत देने, शासन प्रक्रिया में भाग लेने, आदि का अधिकार। समाज में कोई ऐसा विशेष अधिकारयुक्त वर्ग नहीं होगा, जिसका संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अधिकार हो ।

प्रश्न 4. सामाजिक समानता से क्या तात्पर्य है?

उत्तर. **सामाजिक समानता से अभिप्राय है–**

किसी भी वर्ग, जाति, धार्मिक समूह, या एक जातीय समूह के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। जाति, रंग, पंथ, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव निषेध। सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मुक्त अभिगम, अर्थात कोई सामाजिक अलगाव नहीं।

© JCERT not to be republished

सभी लोगों के लिए अवसर की समानता

प्रश्न 5. जातीय समानता क्या है?

उत्तर. जातिगत आधार पर तथा संविधान में निहित भावनाओं के अनुसार भेदभाव की समाप्ति तथा उन्मूलन जातीय समानता कहा जाता है।

प्रश्न 6. वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं?

उत्तर. वंचित वर्ग से तात्पर्य है, कि ऐसी जाति जो पिछड़ी हुई है। पिछड़े होने से तात्पर्य है, कि ऐसी जाति जो आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े या निचले स्तर के होते हैं। वंचित वर्ग आज से ही नहीं अपितु प्राचीन समय से हैं। जैसे कि दलित वर्ग।

प्रश्न 7. आर्थिक रूप से वंचित वर्ग कौन सा है?

उत्तर. वंचित शब्द का अर्थ उन वंचित वर्ग से है जो समाज की शेष जनसंख्या की तुलना में आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से प्रतिकूल स्थिति में होते हैं। वंचित खंड न केवल निम्न आय को संदर्भित करता है, बल्कि निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, गरीबी, खराब स्वास्थ्य, वित्तीय असुरक्षा, आदि को भी समाहित करता है।

प्रश्न 8. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया है?

उत्तर. सरकार 'नागरिकों के पिछड़े वर्ग' के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, अगर राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को लागू किया, जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए अनुच्छेद 15 में तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया।

अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है – न छूना। इसे सामान्य भाषा में 'छूआ–छूत' की समस्या भी कहते हैं। अस्पृश्यता का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना। भारत में अस्पृश्यता की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 निम्नलिखित है–

'अस्पृश्यता' का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

© JCERT not to be republished

संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये कुछ विधिक प्रावधान भी किये गए हैं।

- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम– संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया तथा 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम' कर दिया गया। यह अधिनियम अस्पृश्यता को एक दण्डनीय अपराध के रूप में संबोधित करता है। यह अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की अक्षमता को लागू करने के लिए दण्ड का भी आदेश देता है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत प्रथम बार 'उत्पीड़न' शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1995 में एक नियमावली का निर्माण भी किया है।
- 2015 में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पुराने प्रावधानों को और अधिक सख्त कर दिया गया है। इसमें उत्पीड़न की परिभाषा में कई और कृत्यों, जैसे– सिर व मूंछ मूँड़ना, चप्पलों की माला पहनाना, जनजातीय महिलाओं को देवदासी बनाना, आदि को भी शामिल किया गया है। इसमें मामलों के त्वरित निवारण के लिये विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

समाजशास्त्रियों के अनुसार 'अस्पृश्यता की जननी ऊँच–नीच की भावना है'।

अस्पृश्यता के तीन कारण है–

प्रजातीय भावना

अस्पृश्यता का सर्वप्रथम कारण प्रजातीय भावना का विकास है। कुछ प्रजातियाँ अपने को दूसरे प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती हैं। अमेरिकी गोरे, नीग्रो जाति के लोग को हेय मानते हैं, इसके अतिरिक्त विजेता प्रजातियाँ पराजित जातियों को हीन मानती है। भारत में लगभग सभी जातियों द्वारा छुआछूत को माना जाता था।

धार्मिक भावना

धर्म में पवित्रता एवं शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः निम्न व्यवसाय वालों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय समाज में इन्हीं कारणों से सफाई का काम करने वालों तथा कर्मचारियों, आदि को अस्पृश्य समझा जाता था।

© JCERT not to be republished

सामाजिक कारण

प्रजातीय एवं धार्मिक कारणों के अतिरिक्त अस्पृश्यता के सामाजिक कारण भी हैं। समाज में प्रचलित रूढियों और कुप्रथाओं के कारण भी समाज में वर्गभेद उत्पन्न होते हैं। यह वर्गभेद अस्पृश्यता के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं।

समय के परिवर्तन के साथ मनुष्यों के विचारों में भी परिवर्तन हुआ। जैसे–जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई, समाज आर्थिक रूप से विकसित होता गया। समाज में सर्वत्र पैसे का बोलबाला हो गया। आज मानव की सामाजिक स्थिति पैसे से आँकी जाती है। आज वही श्रेष्ठ है, जो धनी है। अतः सामाजिक स्थिति जन्मजात न होकर अर्जित हो गई। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ अस्पृश्यता का भयानक वृक्ष डगमगाने लगा है।

निवारण के उपाय

शिक्षा

शिक्षा का उद्देश्य है–समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धर्मांधता, संकीर्णता की भावना को दूर करना, जिससे अस्पृश्यता स्वयं ही दूर होगी। जब मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन होकर उसमें विश्वबंधुत्व की भावना का विकास होगा तो उच्च एवं निम्न वर्गों के मध्य का अंतर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा।

जाति–प्रथा का उन्मूलन

हिंदू समाज में विद्यमान जाति–उपजाति प्रथा को समाप्त करके एक भारतीय जाति का विकास करने पर अस्पृश्यता के इस कलंक से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

राजकीय पदों पर नियुक्ति

सरकार इस विषय में विशेष जागरूक है। विभिन्न राजकीय पदों पर अनुसूचित जाति के पढ़े–लिखे युवकों की नियुक्ति का प्रतिशत निश्चित कर दिया गया है। इससे उनमें आत्मगौरव तथा नवीन चेतना का संचार हुआ है।

आर्थिक विकास

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों को कृषि तथा गृह–उद्योग के लिए जमीन, हल, बैल, आदि तथा अन्य आर्थिक मदद राज्य की ओर से मिलनी चाहिए। इनकी आर्थिक दशा में सुधार के लिए, सूदखोरी की रोकथाम के लिए कानून बनाने चाहिए, जिससे इनकी रक्षा हो सके। समाज में अस्पृश्यता के दोषों को प्रचार द्वारा दूर करना चाहिये। जिससे अस्पृश्यों को मानवीय अधिकार प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

© JCERT not to be republished

प्रश्न 1. प्राचीन भारत में न्याय का संबंध था।

(क) धर्म से (ख) ध्यान से

(ग) राज्य से (घ) राजा से

उत्तर. (क) धर्म से

प्रश्न 2. न्याय की परिभाषा क्या है ?

(क) प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था

(ख) न्याय का संबंध हमारे व सार्वजनिक जीवन के नियमों से होता है

(ग) जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटेंगे

(घ) उपरोक्त सभी .

उत्तर. (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 3. न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रहती है क्योंकि–

(क) उसे निष्पक्ष रहना है (ख) वह देख नहीं सकती

(ग) यह एक परंपरा है (घ) वह स्त्री है

उत्तर. (क) उसे निष्पक्ष रहना है

प्रश्न 4. न्याय पूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है

(क) वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित बँटवारा

(ख) सभी व्यक्तियों को जीने के लिए समान धरातल मिल सके

(ग) दोनों

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर. (ग) दोनों

प्रश्न 5. सामाजिक न्याय को स्थापित करने का तरीका नहीं है

(क) समान लोगों के प्रति समान व्यवहार

(ख) समानुपातिक न्याय

(ग) विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल

(घ) सभी के साथ एक जैसा व्यवहार

उत्तर. (घ) सभी के साथ एक जैसा व्यवहार

प्रश्न 6. भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है

(क) राज्य का अपना धर्म है

(ख) राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है

(ग) राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है

(घ) राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है

© JCERT not to be republished

उत्तर. (घ)

प्रश्न 7. समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है–

(क) परिश्रम का अंतर (ख) योग्यता का अंतर
(ग) अवसरों की असमानता (घ) प्रयासों का अंतर

उत्तर. (ग) अवसरों की असमानता

प्रश्न 8. अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण है –

(क) पूर्वाग्रह (ख) भेदभाव
(ग) रूढ़िवादिता (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर. (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 9. सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है

(क) व्यक्ति की (ख) सरकार की
(ग) समाज की (घ) उपरोक्त सभी की

उत्तर. (घ) उपरोक्त सभी की

प्रश्न 10. इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है ?

(क) प्रजातांत्रिक पद्धति
(ख) मूल अधिकार एवं कर्तव्य
(ग) प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा
(घ) स्वतंत्र न्यायपालिका.

उत्तर. (ग) प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा

प्रश्न 11. पंथनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है

(क) राज्य का अपना धर्म है
(ख) राज्य का किसी धर्म से संबंध नहीं है
(ग) राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है
(घ) राज्य अल्पसंख्यक धर्म को मान्यता देता है

उत्तर. (ग) राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है.

प्रश्न 12. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, तथा जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा?

(क) अनुच्छेद 15 (ख) अनुच्छेद 16
(ग) अनुच्छेद 17 (घ) अनुच्छेद 18

© JCERT not to be republished

उत्तर. (क) अनुच्छेद 15

प्रश्न 13. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का पूर्णतया अंत कर दिया गया है?

(क) अनुच्छेद 15 (ख) अनुच्छेद 16

(ग) अनुच्छेद 17 (घ) अनुच्छेद 18

उत्तर. (ग) अनुच्छेद 17

प्रश्न 14. अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया

(क) 1955 (ख) 1956

(ग) 1957 (घ) 1958

उत्तर. (क) 1955

प्रश्न 15. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव के प्रति दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिबंध किया गया है?

(क) अनुच्छेद 23 (ख) अनुच्छेद 26

(ग) अनुच्छेद 28 (घ) अनुच्छेद 30

उत्तर. (क) अनुच्छेद 23

प्रश्न 16. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों या अधिष्ठानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है ?

(क) अनुच्छेद 23 (ख) अनुच्छेद 24

(ग) अनुच्छेद 25 (घ) अनुच्छेद 26

उत्तर. (ख) अनुच्छेद 24

प्रश्न 17. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों जनजातियों और दुर्बल वर्ग के शिक्षा संबंधी हितों की व्यवस्था की गई है?

(क) अनुच्छेद 45 (ख) अनुच्छेद 46

(ग) अनुच्छेद 43 (घ) अनुच्छेद 48

उत्तर. (ख) अनुच्छेद 46

प्रश्न 18. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया ?

(क) 1993 (ख) 1994

(ग) 1995 (घ) 1996

उत्तर. (क) 1993

प्रश्न 19. जातीय निर्योग्यता निर्धारण अधिनियम पारित किया गया।

© JCERT not to be republished

(क) 1850 (ख) 1851
(ग) 1852 (घ) 1853

उत्तर. (क) 1850

प्रश्न 20. आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति, जनजातियों के संबंध में अधिसूचना जारी कौन करता है?

(क) प्रधानमंत्री (ख) उपराष्ट्रपति
(ग) राष्ट्रपति (घ) मुख्यमंत्री

उत्तर. (ग) राष्ट्रपति

© JCERT not to be republished